तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/5/24	पत्रावली पेश/ पीठासीन अधिकारी ...प्रशा. कार्य... मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते नियमित कार्यवाही दिनांक 23-5-24 के पेश हो।	
23/5/24	पत्रावली पेश। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया, नकल वकील प्रार्थी दिलाई जाकर शा० मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक - 21/06/2024 को पेश हो। मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शा० मिसल की गई।	
21/6/24	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप० है। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 28/06/2024 को पेश हो।	
28/6/24	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्तावित रास्ते की जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख० सं० 1213/1474 वाके ग्राम बडगांव मे आने जाने हेतु ख० सं० 1213/1471 व 1213/1472 की मेड से ख० सं० 1213/1474 तक 15 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। प्रस्तावित जाँच रिपोर्ट मे भी प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु ख० न० 1213/1472 मे से 15 फुट चौडा रास्ता नजरी नक्शेनुसार प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित रास्ता सुगम व नजदीक होना व प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना अंकित किया गया है। अप्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते की भूमि जो की राजकीय सिवायचक है पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त होने से उनका इस भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि ख.नं. 1212/1474 वाके ग्राम बड़गांव में आने जाने हेतु ग्राम बड़गांव जाने वाली पक्की सड़क से ख.नं. 1213/1472 की पश्चिम मेड़ पर 15 फीट चौड़ा व 561 फीट लम्बा रास्ता प्रस्तावित नक्शे अनुसार घोषित किया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते मे 8415 वर्ग भूमि अर्थात 0.0782 हैक्टेयर भूमि प्रयुक्त होगी। उक्त घोषित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में आ.मु. रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली राजकीय सिवायचक की D.L.C. दर पक्की ग्रामीण सड़क के पास की 1208840/- प्रति हैक्टेयर है, जिसमें से रास्ते मे आने वाली भूमि 0.0782 हैक्टेयर की दर 94531.22/- रु जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि (94531.22×2) 189062.44 अर्थात राशि 189062/- बनती है, जिसे प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार राजकोष मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जमा करवाया जावें। प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा चालान पेश करने पर निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार - दबलाना

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली